

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला—रायपुर (छ.ग.)

क्र. 5565 / एफ—7—81 / 31 / एस—2 / 2019,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक ५/१२/२०१९

मुख्य अभियंता,  
हसदेव गंगा कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :— सूरजपुर जिले के विकासखण्ड प्रतापपुर अन्तर्गत सिलौटा जलाशय योजना  
की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :— प्र.अ. का पत्र क्र.—263 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2019 / 13397, रायपुर, दि. 18.10.2019.

—००—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक—367 / सी—28269 / 11 / वित्त / नियम / चार, रायपुर  
दिनांक 11.11.2011 द्वारा जारी वित्त निर्देश 50 / 2011 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—2 के  
अनुक्रमांक—88 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतद्  
द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखण्ड प्रतापपुर अन्तर्गत सिलौटा जलाशय योजना हेतु लागत राशि  
रु. 64.43 लाख (रुपये चौसठ लाख तिरालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की पूर्ण रूपांकित क्षमता 84 हेक्टेयर कमी की पूर्ति सहित  
कुल 116 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के  
अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण  
करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का  
पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह  
दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा  
अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—41—अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष—  
4702, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}—सतही जल, 0102—अनुसूचित जनजाति  
उपयोजना (3828) लघु सिंचाई योजना, #97—निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत  
विकलनीय होगा।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना  
सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च  
गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*मुख्य अभियंता*  
(याकुब खस्सा)  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
*अधिकाल संसाधन विभाग*  
*३०/१०/१९*

...2

पृ. क्र. 5566 / एफ-7-81/31/एस-2/2019,

अटल नगर, दिनांक 05/12/2019

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—सूरजपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. ~~उप संचालक~~, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर, जिला—सूरजपुर (छ.ग.)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

संयुक्त साचिव ।  
छत्तीसगढ़ शासन

राज्य संसाधन विभाग

३०१२।१२।१९